न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 14 / 2025

बालकृष्ण मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी संतोष नगर टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रकरण श्री जगदीश मिश्रा बनाम भगवतीलाल की पत्रावली की फोटो प्रतियां दिलाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 208 दिनांक 13.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 179 दिनांक 24.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 47 दिनांक 16.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)